

1 प्र०कं० 269/15 एवं 17/16 नि०फो०

न्यायालय:- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

प्रकरण क्रमांक:- 269/2015 नि०फो०
संस्थित दिनांक 07-12-2015

रायसिंह पुत्र कलियानसिंह उम्र 35 वर्ष, निवासी
ग्राम खरौआ, तहसील गोहद जिला भिण्ड
म०प्र० ।

-----आवेदक / निगरानीकर्ता

बनाम

1. शासन जयें आरक्षीकेन्द्र गोहद जिला भिण्ड
म०प्र० ।
2. नरेन्द्रसिंह पुत्र महरवानसिंह जाति गुर्जर, निवासी
लक्ष्मण तलैया वार्ड क्रमांक 5 गोहद जिला भिण्ड
म०प्र० ।

-----अनावेदक / प्रतिनिगरानीकर्ता

एवं

प्रकरण क्रमांक:- 17/2016 नि०फो०
संस्थित दिनांक 21-12-2015

नरेन्द्रसिंह पुत्र मेहरवान सिंह जाति गुर्जर,
निवासी वार्ड नम्बर 5, लक्ष्मण तलैया गोहद,
जिला भिण्ड म०प्र० ।

बनाम

1. शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र गोहद जिला भिण्ड
म०प्र० ।
2. रायसिंह पुत्र कलियानसिंह उम्र 35 वर्ष, निवासी
ग्राम खरौआ, तहसील गोहद जिला भिण्ड
म०प्र० ।

निगरानीकर्ता / गैर निगरानीकर्ता द्वारा श्री सुरेश गुर्जर / श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्तागण ।

निगरानीकर्ता / गैर निगरानीकर्ता द्वारा श्री श्री प्रवीण गुप्ता / श्री सुरेश गुर्जर अधिवक्तागण ।

//आ दे श//

//आज दिनांक 14-01-2015 को पारित किया गया//

01. निगरानीकर्ता रायसिंह की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्र0क0 269/2015 तथा निगरानीकर्ता नरेन्द्रसिंह की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्र0क0 17/2016 का निराकरण इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है। जो कि उक्त निगरानीकर्तागण की ओर से थाना गोहद के अपराध क्रमांक 348/15 अंतर्गत धारा 379 भा0द0वि0 में जप्तशुदा गाय एवं बछड़े को सुपुर्दगी के संबंध में प्रस्तुत अलग अलग आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 451 जा.फौ. क्रमशः दिनांक 04.11.15 एवं 08.12.15 को निरस्त किये गए हैं। दोनों ही आवेदनपत्र एक ही विषयवस्तु और एक ही प्रकरण से संबंधित होने के कारण उनका निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

02. निगरानी के संबंध में सुसंगत तथ्य इस प्रकार से हैं कि पुलिस थाना गोहद के द्वारा प्रकरण क्रमांक 269/2015 के निगरानीकर्ता रायसिंह की रिपोर्ट के आधार पर कि उसकी एक गाय मारवाड़ी लाल रंग की माथा सफेद है और बछिया उम्र करीब एक वर्ष की है। उक्त गाय नगरपालिका परिसर भिण्ड द्वारा संचालित पशु बिक्रय बाजार से उसने 30,000/- रूपए में क्रय की थी जिसकी रसीद नगरपालिका के द्वारा काटी गई थी। उक्त गाय व बछिया को चरने के लिए हार में छोड़ दिया था और भण्डारा खाने के लिए चला गया था। शाम को उन्हें देखने के लिए गया तो गाय एवं बछिया नहीं मिली। उनकी वह तलाश करता रहा। बाद में उसे पता चला कि उक्त गाय व बछिया आरोपी नरेन्द्र उर्फ मुन्ना गुर्जर और उसके लडके भूरे निवासी लक्ष्मण तलैया के द्वारा ले जाया गया है नरेन्द्र सिंह की मकान में देखा गया तो उक्त गाय बछिया वहाँ बंधी थी। इस संबंध में पुलिस थाना गोहद में उसके द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई जिस पर नरेन्द्रसिंह एवं उसके पुत्र के विरुद्ध धारा 379 भा0दं0स0 का अपराध पंजीबद्ध हुआ। गाय एवं बछिया की जप्ती नरेन्द्रसिंह के घर के दरवाजे के सामने से की गई और अपराध धारा 379 भा0दं0स0 का पंजीबद्ध किया गया। उक्त गाय और बछिया को सुपुर्दगी पर प्रदान करने हेतु फरियादी रायसिंह के द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदनपत्र पेश किया गया जो कि विचारण न्यायालय के द्वारा निरस्त किया गया है। इसी प्रकार आरोपी नरेन्द्र के द्वारा भी उक्त गाय, बछिया की सुपुर्दगी हेतु प्रथक से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदनपत्र दिया गया जो कि उसके द्वारा पेश आवेदनपत्र भी निरस्त किया गया है।

03. निगरानीकर्ता रायसिंह के द्वारा प्रस्तुत निगरानी में यह आधार लिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं तथ्यात्मक दृष्टि से सही नहीं है। अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा अपने आदेश में यह उल्लेख करते हुए कि गाय की सुपुर्दगी के संबंध में निराकरण साक्ष्य के बिना संभव नहीं है, जबकि उसके द्वारा नगरपालिका

भिण्ड के द्वारा जारी गाय खरीदने के संबंध में रसीद जो कि पशु बिक्रय हेतु प्रमाणपत्र है और जो कि स्वामी बताने के लिए पर्याप्त है। इसके अतिरिक्त उसके ओर से प्रस्तुत पंचनामा और शपथपत्र पर भी उचित रूप से विचार नहीं किया गया है। उक्त दस्तावेजों को अनदेखा करते हुए पुनरीक्षाधीन आदेश पारित किया गया है। आरोपी के द्वारा चोरी के अपराध से बचने के लिए आपत्ति लगाई गई थी जो कि पूर्णतः निराधार है। विचारण न्यायालय का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। ऐसी दशा में निगरानी स्वीकार कर गाय व बछिया सुपुर्दगी पर दिये जाने बावत् निवेदन किया गया है।

04. प्रतिनिगरानीकर्ता नरेन्द्रसिंह जो कि प्रकरण का आरोपी भी है के द्वारा उपरोक्त पुनरीक्षण आवेदनपत्र का विरोध किया गया है और यह व्यक्त किया कि गाय एवं बछिया उसके स्वामित्व की है वह निगरानीकर्ता को सुपुर्दगी पर प्रदान नहीं की जा सकती है।

05. उपरोक्त संबंध में आरोपी नरेन्द्रसिंह के द्वारा भी उसकी ओर से प्रस्तुत सुपुर्दगीनामा आवेदनपत्र जो कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 08.12.2015 को निरस्त किया गया है उससे व्यथित होकर निगरानी आवेदनपत्र इस आधार पर पेश किया गया है कि विचारण न्यायालय के द्वारा प्रकरण में आई हुई दस्तावेजी साक्ष्य का उचित रूप से विचार नहीं किया गया है और इस संबंध में भी विचार नहीं किया गया है कि उक्त गाय की जप्ती उसके घर से की गई है। जहाँ किसी भी सम्पत्ति के दो स्वामी हों वहाँ अंतिम बार सम्पत्ति किस के यहाँ से जप्त हुई यह देखा जाना आवश्यक है। गाय निगरानीकर्ता के यहाँ से जप्त हुई है और वास्तविक रूप से गाय उसी की है। फरियादी की गाय पर नियत खराब हो गई है इस कारण झूठी रसीद बनवाकर वह गाय को हडपना चाहता है। गाय उसके स्वामित्व की है और उसे गाय मय बछड़ा व बछिया के सुपुर्दगी पर दिये जाने का निवेदन किया है।

06. प्रतिनिगरानीकर्ता रायसिंह के द्वारा उपरोक्त पुनरीक्षण आवेदनपत्र का विरोध किया गया है और यह व्यक्त किया कि गाय एवं बछिया पर उसका कोई स्वामित्व नहीं है। अतः निगरानी निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

07. उपरोक्त निगरानी के संबंध में मुख्य रूप से विचारणीय यह हो जाता है कि—
क्या विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 04.11.2015 एवं दिनांक 08.12.2015 वैधता, शुद्धता एवं औचित्यता की दृष्टि से स्थिर रखे जाने योग्य न होकर अपास्त किये जाने योग्य है?

// निष्कर्ष के आधार //

08. प्रकरण क्रमांक 269/2015 के निगरानीकर्ता रायसिंह की ओर से अधिवक्ता ने अपने तर्क में मुख्य रूप से यह व्यक्त किया कि घटना के संबंध में चोरी की रिपोर्ट उसके द्वारा थाने में दर्ज कराई गई जो कि उसकी सूचना के आधार पर नरेन्द्रसिंह व उसके

पुत्र संदीप उर्फ भूरे के विरुद्ध धारा 379 भा0दं0सं0 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध हुआ है और अभियोगपत्र भी न्यायालय में पेश किया गया है। उक्त निगरानीकर्ता के द्वारा तर्क में यह भी व्यक्त किया गया कि उसके द्वारा गाय खरीदने के संबंध में नगरपालिका भिण्ड की रसीद पेश की गई थी जो कि पंजीयन अधिकारी नगरपालिका भिण्ड के द्वारा पशु बिक्रय हेतु प्रमाणपत्र है जिसमें कि 30,000/- रूपए में उसके द्वारा उक्त गाय खरीदने के संबंध में वह उसके स्वामित्व का प्रमाण है जिसका कि विचारण न्यायालय के द्वारा अनदेखा कर दिया गया है। मात्र इस आधार पर कि आपत्तिकर्ता/आरोपी नरेन्द्र के द्वारा यह आपत्ति ली गई थी कि उक्त रशीद फर्जी है इसका उल्लेख करते हुए उसकी ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र को निरस्त कर दिया। जबकि उक्त दस्तावेज उसके स्वामित्व का प्राथमिक प्रमाण है। इसके अतिरिक्त उसके द्वारा पेश अन्य दस्तावेजों पर भी विचार नहीं किया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में जबकि उसके पास स्पष्ट तौर से गाय को क्रय करने के संबंध में विधिवत जारी प्रमाणपत्र मौजूद है जो कि उसके स्वत्व की उक्त गाय होने का आधार है उस पर विचार न करते हुए जो आदेश पारित किया गया है वह उचित नहीं है।

09. उपरोक्त संबंध में आरोपी नरेन्द्र जिसके द्वारा भी प्रथक से निगरानी पेश की गई है की ओर से उसके अधिवक्ता ने तर्क में व्यक्त किया कि उक्त गाय उसके स्वामित्व की रही है जो कि उक्त गाय उसके पास से पुलिस ने गलत रूप से जप्त की है। इस संबंध में उसके द्वारा यह भी आधार लिया गया है कि फरियादी रायसिंह के द्वारा जो पशु क्रय करने की रशीद बताई जा रही है वह फर्जी रूप से बनवाई गई है। उक्त गाय का वास्तविक स्वामी आरोपी नरेन्द्र है। गाय एवं वछिया को उसकी सुपुर्दगी में दिया जाए।

10. उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। वर्तमान में मुख्य रूप से जप्तशुदा गाय एवं वछिया जिस पर उभय पक्षकार अपने स्वामित्व का दावा कर रहे हैं की अंतरिम सुपुर्दगी में दिए जाने के संबंध में प्रश्न निहित है। विचारण न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.11.2015 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पशु बिक्रय की रशीद की कॉपी विचारण न्यायालय के समक्ष पेश की गई है जो कि इस संबंध में मूल रशीद क्रमांक 3310 निगरानीकर्ता रायसिंह की ओर से निगरानी के दौरान प्रस्तुत की गई है। उक्त रशीद के संबंध में आरोपी/गैरनिगरानीकर्ता नरेन्द्रसिंह बिक्रय रशीद का प्रमाणपत्र फर्जी होना अभिकथित कर रहा है और अधीनस्थ न्यायालय का आदेश भी मुख्य रूप से इसी पर आधारित है कि स्वामित्व के संबंध में कोई अभिनिश्चय नहीं किया जा सकता है। निश्चित तौर से गाय क्रय करने की रशीद जो कि पशु बिक्रय हेतु प्रमाणपत्र सक्षम अधिकारी नगरपालिका भिण्ड के द्वारा जारी किया जाना बताया जा रहा है वह इस संबंध में प्राथमिक तौर से एक सम्यक् साक्ष्य है। उक्त रशीद मात्र आपत्तिकर्ता/आरोपी के द्वारा यह कहे जाने पर कि वह फर्जी है को आधार लेते

हुए निगरानीकर्ता रायसिंह की ओर से प्रस्तुत सुपुर्दगीनामा निरस्त किया जाना दर्शित होता है। निश्चित तौर से अंतरिम सुपुर्दगीनामा की स्टेज पर प्राथमिक तौर से स्वामित्व को देखा जाना और इसी आधार पर आवेदनपत्र का निराकरण किया जाना अपेक्षित होता है।

11. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में जबकि निगरानीकर्ता रायसिंह के द्वारा पशु बिक्रय के संबंध में बिक्रय प्रमाणपत्र मूल पेश किया गया है। उक्त रशीद की जाँच कि क्या वह वास्तविक है अथवा नहीं? क्या रशीद फर्जी रूप से तैयार कर पेश की गई है? इसकी जाँच कराया जाना आवश्यक है और उसके उपरांत ही इस संबंध में कोई समुचित आदेश पारित किया जाना चाहिए था। जहाँ तक पुनरीक्षण न्यायालय के अधिकारों का प्रश्न है, पुनरीक्षण न्यायालय के आदेश पुनरीक्षण में सीमित होते हैं।

12. विचारोपरांत जबकि पशु बिक्रय के संबंध में मूल बिक्रय प्रमाणपत्र निगरानीकर्ता रायसिंह के द्वारा पेश किया गया है, यह आवश्यक है कि विचारण न्यायालय उक्त बिक्रय रशीद के वास्तविक होने की जाँच कराए कि— क्या वास्तव में दस्तावेज सही है अथवा नहीं? क्या उक्त दस्तावेज फर्जी रूप से तैयार किया गया है? और जाँच कराकर उभय पक्षों को सुनने के उपरांत समुचित आदेश अंतरिम सुपुर्दगीनामा के संबंध में पारित करे। इस संबंध में मूल रशीद प्रकरण के साथ संलग्न कर अधीनस्थ विचारण न्यायालय को भेजा जाए।

13. तदनुसार निगरानीकर्ता रायसिंह की ओर से प्रस्तुत निगरानी दिनांक 04.11.15 तथा निगरानीकर्ता नरेन्द्रसिंह उर्फ मुन्ना गुर्जर की ओर से प्रस्तुत निगरानी आदेश दिनांक 08.12.15 को उक्त परिप्रेक्ष्य में अपास्त करते हुए यह आदेशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय नगरपालिका परिषद भिण्ड के द्वारा पशु बिक्रय की रशीद के संबंध में जाँच कराकर तथा पक्षकारों को पुनः सुनवाई का अवसर देते हुए इस संबंध में विधिवत आदेश पारित करे।

14. अधीनस्थ न्यायालय को मूल अभिलेख के साथ निगरानीकर्ता रायसिंह के द्वारा प्रस्तुत नगरपालिका भिण्ड की मूल रशीद संख्या 30, रशीद क्रमांक 3310 भेजी जाए।

15. आदेश की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय के बुलाए गए सभी अभिलेख वापिस हो ।

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित

हस्ताक्षरित एवं पारित किया गया ।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी0सी0थपलियाल)

अपर सत्र न्यायाधीश

गोहद, जिला भिण्ड

(डी0सी0थपलियाल)

अपर सत्र न्यायाधीश

गोहद, जिला भिण्ड